न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—02/2010 (2010/00001) वाद पत्र

उनवान

1—नारायणलाल वल्द बगतावर ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—बदामबाई विधवा नारायणलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—कंचनबाई पुत्री नारायणलाल नि0 पनोतिया पत्नि रामलाल शर्मा सुखामंड त0 माण्डल
1/3—प्रेमदेवी पुत्री नारायणलाल नि0 पनोतिया पत्नि कैलाश शर्मा कोशीथल त0 सहाड़ा
1/4—लक्ष्मीबाई पुत्री नारायणलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5—प्रेमदेवी पुत्री नारायणलाल नि0 पनोतिया पत्नि भगवतीलाल शर्मा कोशीथल त0 सहाड़ा
1/6—रामेश्वरलाल पुत्र नारायणलाल नि0 पनोतिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—नारायणलाल वल्द रूपा ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—सुन्दरी विधवा नारायणलाल नि0 पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2—सोहनलाल पिता नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3—शंकरलाल पिता नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4—श्यामलाल पिता नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5—सायरी पुत्री नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6—लहरी पुत्री नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/7—सीता पुत्री नारायणलाल शर्मा नि0 पनोतिया पत्नि भैरूलाल शर्मा नि0 आसीन्द
1/8—सायरी पुत्री नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 19.03.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 894/4 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित है। जमाबन्दी 2039 से 2042 के खाता संख्या 382 से वादी के नाम पर खातेदारी अधिकार दर्ज है। प्रातिवादी वादी की उक्त आराजी से कोई सरोकार नही होते हुए भी वह वादी के कब्जे की उक्त आराजी पर जबरन वादी को बेदखल कर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। वादी वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में अकिंत आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है किन्तु प्रतिवादी कानुन को हाथ में लेकर वादी की उक्त आराजी पर जबरन आधिपत्य करने पर कई प्रकार की धमकिया दे रहा है जिससे वादी विरूद्व प्रतिवादी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस प्रकार से जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी स्वयं अपना परिवार जन वाद की कलम नम्बर 1 में अंकित आराजी नम्बर 894 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वयं करे न ओरो से करावे व वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे।

मुकदमा नम्बरः–02/2010 (2010/00001) वाद पत्र

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 17.06.2010 को दर्ज
रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे
प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या
1 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि वादी की आराजी संख्या 894/4 करीब 10 साल
पहले अलोट हुई जो आराजी संख्या 894 का एक भाग है। प्रतिवादी की इसी आराजी नम्बर
मे से 7 बीघा जमीन सवंत 2016 में अलोट हुई एवं मोके पर कब्जा सिपूर्द किया गया। एवं
उसके नम्बर 894/1च पड़े एवं वक्त अलोटमेन्ट से प्रतिवादी उस पर काबिज है प्रतिवादी को
वादी की जमीन से कोई लेना देना नही है। प्रतिवादी द्वारा वादी की जमीन में किसी प्रकार से
हस्तक्षेप या दखल नही है। वादी स्वयं गलत नक्शे के आधार पर प्रतिवादी की आराजी संख्या
894/1च पर आधिपत्य करना चाहता है जिसपर कोई उसका वैध अधिकार नही है। ओर
मजीद कथन के रूप में प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया कि ग्राम पनोतिया में आराजी संख्या
894 स्थित थी जिसके बाद में 894/1 व 894/2 नम्बर बने प्रतिवादी को संवत 2016 में 7
बीघा जमीन अलोट हुई। एव उसके नम्बर 894/1च बना मोके पर कब्जा वक्त अलोटमेन्ट से
है। मेरी जमीन पड़ोस निम्न प्रकार है–उत्तर – मांगीलाल वल्द चन्द्रभाण की आराजी,
दक्षिण– सरकारी रास्ता चान्दरास का, पूर्व– नाथु, मोडा ब्राहम्ण की भूमि व पश्चिम– वादी की
जमीन है। वादी ने गलत तरमीम करा भूमि संख्या 894/1च को हड़पने की गरज से गलत
वादपत्र प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि वादपत्र गलत होने से खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण वर्ष 1987 में उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के यहा दर्ज हुआ ओर
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के द्वारा दिनांक 28.05.1990 को बाद जांच प्रकरण खारीज किया
गया था जिस पर वादी अपीलार्थी द्वारा न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व पदेन
अधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील 216/94 दर्ज होकर अपील न्यायालय द्वारा 27.09.
1995 को अपील अस्वीकार की गई थी जिस पर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
के यहा अपील प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 18.10.2000 को अपील स्वीकार
कर प्रकरण न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था जिस पर पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर के यहा दर्ज हुआ जिसके प्रकरण संख्या 25/2001 होकर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
द्वारा दिनांक 18.04.2002 को वादी का वाद खारीज किया गया जिस पर वादी द्वारा पुनः
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील पेश करने पर अपील संख्या
167/2002 निर्णय दिनांक 30.12.2004 से अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर को प्रति प्रेषित किया गया जिस पर उक्त प्रकरण पुनः गंगापुर न्यायालय में दर्ज
होकर इस न्यायालय को दिनांक 10.06.2010 को प्राप्त होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर सुनवाई की गई। प्रकरण में उपलब्ध समस्त रेकार्ड एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर
द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना में मौका रिपोर्ट ली गई तथा प्राप्त रिपोर्टो का अवलोकन
किया गया तो पाया कि प्रार्थी को वक्त आवंटन से जहां कब्जा दिया गया है प्रार्थी उसी
जगह काबिज है किन्तु नवीन भू प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो नवीन नम्बर दर्ज
किये गये है जो त्रुटिपूर्ण है ओर उस त्रुटि के आधार पर नवीन खसरा नम्बर 476 एवं 581
पर वादी का कब्जा नही है ओर बजाय वादी का कब्जा आराजी नम्बर 596 रकबा 0.30 है0
बिलानाम भूमि पर एवं आराजी नम्बर 591 रकबा 0.60 है0 के भाग पर कब्जा होना पत्रावली में
उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ठ है साबिक आराजी नम्बर 894/4 रकबा 3 बीघा भूमि पर प्रतिवादी
का कब्जा होना दर्शाते हुए वाद पेश किया गया है जो न्यायालय द्वारा 2 बार खारीज किया

जा चुका है साबिक आराजी नम्बर 894 बड़ा नम्बर था ओर प्रतिवादी को इसी नम्बर मे से आवंटन पहले हुआ था प्रतिवादी मोके पर काबिज था उसके बाद रिक्त बिलानाम भूमि मे से वादी को अलोटमेन्ट हुआ ओर आवंटन से रिक्त भूमि पर वादी को कब्जा दिया गया था जिसके अनुसार नवीन भू प्रबन्ध में 894 / 4 के नवीन खसरा नम्बर 895 दर्ज हुए ओर नवीन खसरा नम्बर 595 पर वादी का कब्जा है जिस भूमि पर दावा दायरी दिनांक को वादी का कब्जा हो ओर प्रतिवादी बेदखल करने पर आमाद हो तो ही धारा 188 आरटीएक्ट के तहत् प्रतिवादी के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकरण में दावा दायरी दिनांक के दिन भी प्रतिवादी को आवटिंत भूमि पर कब्जा था ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध विभाग की भूल से जो वादी के कब्जे के विपरीत नवीन आराजी नम्बर 476 ओर 581 दर्शाये गये है जहां वादी का कब्जा नही है ओर जहां वादी का मोके पर कब्जा है वो खसरा नम्बर वादी के नाम दर्ज नही हैं ऐसी स्थिति में वादी धारा 188 के तहत् किसी प्रकार की सहायता पाने का अधिकारी नही है। वादी अपना वाद सिद्व कराने में असफल रहा है। तनकीवार विस्तृत निर्णय पूर्व दिनांक 28.05.1990 को किया जा चुका है तथा पुनः दिनांक 18.04.2000 को भी वादी का वाद खारीज हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित नही है।

आदेश

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् अस्वीकार किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.3.2020

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–02/2010 (2010/00001) वाद पत्र

उनवान

1–नारायणलाल वल्द बगतावर ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–बदामबाई विधवा नारायणलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2–कंचनबाई पुत्री नारायणलाल नि0 पनोतिया पत्नि रामलाल शर्मा सुखामंड त0 माण्डल
1/3–प्रेमदेवी पुत्री नारायणलाल नि0 पनोतिया पत्नि कैलाश शर्मा कोशीथल त0 सहाड़ा
1/4–लक्ष्मीबाई पुत्री नारायणलाल ब्राहम्ण निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5–प्रेमदेवी पुत्री नारायणलाल नि0 पनोतिया पत्नि भगवतीलाल शर्मा कोशीथल त0 सहाड़ा
1/6–रामेश्वरलाल पुत्र नारायणलाल नि0 पनोतिया त0 सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–नारायणलाल वल्द रूपा ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1–सुन्दरी विधवा नारायणलाल नि0 पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2–सोहनलाल पिता नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3–शंकरलाल पिता नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4–श्यामलाल पिता नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5–सायरी पुत्री नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/6–लहरी पुत्री नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/7–सीता पुत्री नारायणलाल शर्मा नि0 पनोतिया पत्नि भैरूलाल शर्मा नि0 आसीन्द
1/8–सायरी पुत्री नारायणलाल शर्मा निवासी पनोतिया त0 रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकंदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् अस्वीकार किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 19.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

19.3.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.07.24 10:41:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: